(73) 1

उत्तरांचल सरकार
पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियत्रंण सेवा विभाग
संख्या 761 /XII/2006/92(08)/2004
देहरादून, दिनांक 18 अक्टूबर 2006

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त नियमों और आदेशों का अधिकमण करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं::-

उत्तरांचल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नियमावली, 2006
भाग-एक-सामान्य

1.संक्षिप्त नाम प्रारम्भः- 1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2.- परिभाषाएंः- जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से जिला पंचायत राज अधिकारी अभिप्रेत है।

(ख) "भारत का नागरिक" से उस व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो भारत के संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से उत्तरांचल की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) राज्यपाल से उत्तरांचल के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(च) सेवा के सदस्य से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों व आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा" से उत्तरांचल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो;

(झ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलण्डर वर्ष के पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग-2-संवर्ग

3-- सेवा का संवर्गः- (1) सेवा के सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन के आदेश न दिये जायं, प्रदेश की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या की एक तिहाई होगी, वर्तमान में यह संख्या 2409 है।

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसको स्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग—3—भर्ती

4— आरक्षणः— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग—4 अर्हताएं

5— राष्ट्रीयताः— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया(पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्व अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त प्रवर्ग (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया हो, परन्तु यह और कि प्रवर्ग (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस के उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त करें किन्तु ऐसा प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से अधिक सेवा में तभी रखा जायेगा जबकि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी— ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकेगा और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकेगा कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

6—शैक्षिक अर्हताएंः— ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरांचल/उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। कम्प्यूटर का कार्यालय में उपयोग का सामान्य ज्ञान आवश्यक हो।

7—अधिमानी अर्हताएंः— (1) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, या

(2) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो,

(3) जिसकी ग्रामीण पृष्ठ भूमि हो,

(4) कम्प्यूटर DOEACC की "0" लेवल परीक्षा उत्तीर्ण की हो।